

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)  
मुकदमा न०- 422/2022  
जो सी एम एस न० 2022/999

दर्ज दिनांक 21.11.2022  
निर्णय दिनांक 11.07.2023

बनवारी आदि

बनाम  
अंतिम निर्णय

ओमप्रकाश आदि

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2023 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा के भूमि खाता संख्या नया 116 तथा ग्राम धोलाखेडा पटवार हल्का रघुनाथपुरा के भूमि खाता संख्या नया 141 तथा ग्राम धोलाखेडा के भूमि खाता संख्या नया 140 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.06.2023 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2023/1383 दिनांक 08.06.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.06.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.06.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

रामसिंह राजावत  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामसिंह राजावत  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं  
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 422/2022

जी सी एम एस न० 2022/999

दर्ज दिनांक 21.11.2022

निर्णय दिनांक 11.07.2023


बनवारी आदि

बनाम  
अंतिम निर्णय  
दावा विभाजन

ओमप्रकाश आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...  
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.06.2023 को अंतिम डिक्री  
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.06.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम  
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को  
आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में  
तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।  
निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....  
.....निल..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -..  
.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -...  
.....निल..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के  
आज तारीख 11 माह 07 सन 2023 को जारी की गई।

  
(रामसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुझुनूं)